राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई) (1) (6) (नि.प. 21/2011)/अलेसे–III/8859-64 दिनांक :– 6/9/2013

आदेश संख्या 215/2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2011 में चयनित अभ्यर्थी श्री कमलेश चन्द शर्मा (मेरिट संख्या 21/2011) पुत्र श्री आनन्दी लाल शर्मा को इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या 33/2013–14 क्रमांक 2653–2664 दिनांक 29.04.2013 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उपनिदेशक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, कोटा में प्रशिक्षण पर उपस्थिति दिए जाने के लिए आदेश प्रदान किये गये थे।

प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थिति न दिये जाने के फलस्वरूप श्री कमलेश चन्द शर्मा का पदस्थापन उप कोषालय, पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। श्री शर्मा को दिनांक 18.09.2013 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जावेंगे। शेष सभी शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत् रहेंगी।

निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई) (1) (6) (नि.प. 21/2011)/अलेसे–III/8859-64 दिनांक :– 6/9/2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. उप कोषाधिकारी, पीपलखूंट (प्रतापगढ़)।
3. श्री कमलेश चन्द शर्मा पुत्र श्री आनन्दी लाल शर्मा, ग्राम लालावाला, पोस्ट भूडला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर पिन–303004 को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित विभाग में कार्यग्रहण सुनिश्चित करें अन्यथा यह मानते हुए कि आप नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, आपकी अभ्यर्थिता निरस्त करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
4. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)